कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण,भोपाल

क्रमांक 84 / 02 / भोविप्रा / 19 — भोपाल,दिनांक 30 / 05 / 2019

DT. 30/5/

श्री शैलेन्द्र प्रधान ने भोपाल विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत आवेदन प्रस्तुत किया :-

आवेदक का नाम	तहसील	ग्राम	खसरा क्र	रकबा
श्री शैलेन्द्र प्रधान आ. स्व. श्री प्रभुदयाल प्रधान निवासी–प्रधान निवास, अहमदपुरकला होशंगावाद रोड, भोपाल।	हुजूर	अहमदपुर कलॉ	13 / 1 / 1 / क	3.738 हैक्टेयर

वर्तमान में प्रश्नाधीन खसरों पर प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है। अतः उक्तानुसार वर्णित भूमि के संबंध प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन जारी किया जाता है :–

1. जब कभी भी भोपाल विकास प्राधिकरण की योजना उपरोक्त उल्लेखित भूमि से लगकर प्रस्तावित की जावेगी तब नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा सक्षम मार्ग संरचनाए एवं सेवाएं सुविधा आदि की दृष्टि से योजना का उपरोक्त वर्णित भूमि से समन्वय **(coordination)** करने में कोई आपत्ति नही ली जावेगी।

2. उपरोक्त वर्णित भूमि से लगकर भोपाल विकास प्राधिकरण की योजना अधिसूचित / क्रियान्वित होने की स्थिति में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 59 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित विकास प्रभार राशि भोपाल विकास प्राधिकरण के समक्ष जमा करने के लियें सहमत है।

3. प्राधिकरण द्वारा भू–स्वामित्व एवं भू–उपयोग का परीक्षण नहीं किया जाता है। मात्र यह उल्लेख किया जाता कि प्राधिकरण की योजना में उक्त खसरे है या नही। अतः भू–स्वामित्व एवं भू–उपयोग का परीक्षण संबंधित विभाग द्वारा किया जावे।

4. यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा।

(मु0का0अधि0 द्वारा अनुमोदित)

मुख्य नगर नियोजक
भोपाल विकास प्राधिकरण,
भोपाल

पृ.क्र. .... / 02 / भो.वि.प्रा. / 2019 — भोपाल,दिनांक........ / .... / 2019

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल को सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल।

मुख्य नगर नियोजक
भोपाल विकास प्राधिकरण
भोपाल